(252)

II/निग0/2018/01468/R.O./सतना

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किल कोर्ट रीवा संभाग रीवा म0प्र0

R301/-

शंकरलाल प्रजापति तनय स्व0श्री रतीवा प्रजापति उम्र 80 साल निवासी बिरसिंहपुर तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म0प्र0————————————**निगराकार**

बनाम

1— गीतादेवी पुत्री शिवकुमार काछी निवासी ग्राम सेमरिया जिला रीवा म0प्र0

2— म0प्र0शासन————————————————**गैर निगराकार**

निगरानी अन्तर्गत धारा—50 कानूनमाल

निगरानी विरूद्ध राजस्व निरीक्षक वृत्त बिरसिंहपुर के प्र0क्र0—29अ12/13—14 में पारित आदेश दिनांक—03.07.2014

अधि0श्री चन्द्रकांत मिश्रा द्वारा पेश/27-2-18

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

निगराकार श्रीमान् के समक्ष निगरानी पेशकर निम्नलिखित विनय करता है कि :—

निगरानी का सारांश :—

यह कि मौजा बिरसिंहपुर की आ0नं0—12/2क/1ख का मूल भूमिस्वामी मनिया काछी थे । मनिया काछी ने अपनी भतीजी गीता काछी को उक्त आराजी का अंश रकवा 0.101हे0 हिस्साबांट में दे दिया था । गीता काछी द्वारा अपने स्वामित्व की आ0नं0—12/2क/1ख रकवा 0.101हे0 के सीमाकंन हेतु आवेदन पत्र दि018.12.2012 को पेश किया । जिसके आधार पर तहसीलदार महोदय ने यह कहते हुये सीमाकंन टीम गठित किया कि आवेदित भूमि शहरी क्षेत्र की है,इसके कई बटांक है इसलिये सुचारू रूप से सभी बटांको का सीमाकंन किया जाना अति आवश्यक है ।

-2-

शंकरलाल प्रजापति

252

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक क्रमांक II / निग0 / सतना / भू–रा0 / 2018 / 1468 जिला–सतना

शंकरलाल प्रजापति / गीता देवी काछी

(1)	(2)	(3)
18.12.19	1. आवेदक की ओर से श्री चन्द्रकांत मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त बिरसिंहपुर, तहसील बिरसिंहपुर, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 29 / अ–12 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 03.07.14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 20.02.19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	